संख्या: 11/2021 / 571 / सत्रह-म-2021-6-9(6)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल ,2021

विषय: अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405 - मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 152 /ले0शा0/बजट/ 2021-22 दिनांक 09/04/2021 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वेतन-भत्तों व अन्य प्रासंगिक व्यय की विभिन्न मानक मदों हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 रू0 10967.99 लाख (रू0 एक अरब नौ करोड सरसठ लाख निन्यानबे हजार मात्र) एवं भारित मद में रू0 9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार धनराशि रू0 10967.99 लाख (एक अरब नौ करोड सरसठ लाख निन्यान्बे हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रू0 9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नही होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(5) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये, जिसमें पेट्रोल /यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(7) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 व अन्य सुसंगत शासनादेशों /नियमों में दिये गये निर्देशों /शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या **11/2021/ 571**(1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज ।
(3) उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्याः 11/2021/571/सत्रह-म-2021-6-9(6)/2018 टी0सी0

दिनांक 15 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति-

(धनराशि रू0 लाख में)

योजना का नाम	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22	वर्ष 2021-22 हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3
001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान-2405000010300		
01- वेतन	1191.39	1191.39
03- मंहगाई भत्ता	357.42	357.42
04- यात्रा भत्ता	2.00	2.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06- अन्य भत्ते	5.00	5.00
08- कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09- विद्वयुत देय	30.00	30.00
10- जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.75
13- टेलीफोन पर व्यय	1.75	1.75
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	15.00	15.00
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.01	0.01
29- अनुरक्षण	10.00	10.00
42- अन्य व्यय मतदेय	0.00	0.00
भारित	5.00	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	0.50	0.50
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49- चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
51- वर्दी व्यय	0.50	0.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55- मकान किराया भत्ता	60.00	60.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग – 001-03	1751.83	1751.83
भारित	5.00	5.00
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण		
03- मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना		
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसागिंक व्यय	2.40	2.40
योग- 109	2.40	2.40
190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता		
03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता		
20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	100.00	25.00
31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	742.00	742.00
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	40.42	40.42
योग- 190	882.42	807.42
800- अन्य व्यय 03- अनुसंधान सामान्य		
01- वेतन	5918.10	5918.10
02- मजदूरी	1.00	1.00
03- मंहगाई भत्ता	1775.43	1775.43
04- यात्रा व्यय	15.00	15.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06- अन्य भत्ते	10.00	10.00
07- मानदेय	4.00	4.00
08- कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09- विघुत देय	45.00	45.00
10- जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13- टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00	12.00
16- व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17- किराया, उपशुल्क और कर- स्वामित्व	20.00	20.00
18- प्रकाशन	0.50	0.50
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.30	0.30
29- अनुरक्षण	1.00	1.00
42- अन्य व्यय मतदेय	1.00	1.00
भारित	4.50	4.50
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिंक व्यय	0.50	0.50
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	5.00	5.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	28.00	28.00
51- वर्दी व्यय	1.00	1.00
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55- मकान किराया भत्ता	250.00	250.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग- 800-मतदेय	8116.84	8116.84
भारित	4.50	4.50
800- अन्य व्यय 04- प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना		
01- वेतन	141.11	141.11
03-मंहगाई भत्ता	42.33	42.33
04- यात्रा व्यय	3.00	3.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06- अन्य भत्ते	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

08- कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09- विघुत देय	5.00	5.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	1.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13- टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.50
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	5.00
17- किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	4.00	4.00
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	0.50	0.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	7.00	7.00
51- वर्दी व्यय	0.20	0.20
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55- मकान किराया भत्ता	30.00	30.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग – 800 -04	254.15	254.15
800- अन्य व्यय 05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
02- मजदूरी	1.00	1.00
04- यात्रा व्यय	0.50	0.50
08- कार्यालय व्यय	0.50	0.50
09- विघुत देय	22.00	22.00
10- जलकर/ जलप्रभार	2.00	2.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.25
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13- टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.25	0.25
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	3.00	3.00
18- प्रकाशन	0.10	0.10
42- अन्य व्यय	0.25	0.25

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /ततसम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	0.20	0.20
51- वर्दी व्यय	0.10	0.10
योग- 800- 05	31.85	31.85
11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण		
39- औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
योग –800- 11	3.50	3.50
योग-800- अन्य व्यय मतदेय	8406.34	8406.34
भारित	4.50	4.50
कुल योग – 2405- मतदेय	11042.99	10967.99
भारित	9.50	9.50
कुल योग मतदेय/ भारित	11052.49	10977.49

(रू0 एक अरब नौ करोड सरसठ लाख निन्यानबे हजार मात्र)

(भारित रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र)

कुल योग- (एक अरब नौ करोड सतहत्तर लाख उनचास हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।